

प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 22/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

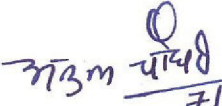
ट्राई (भादूविप्रा) के नाम से आने वाली धोखाधड़ीपूर्ण कॉल से सावधान रहें

हाल के दिनों में कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुछ धोखेबाज लोग खुद को ट्राई (भादूविप्रा) का अधिकारी बताकर उपभोक्ताओं को टेलीफोन कॉल या संदेश के माध्यम से निशाना बना रहे हैं। ऐसे लोग धमकी देते हैं कि उपभोक्ता अवैध गतिविधियों में शामिल हैं इसलिए मोबाइल कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस प्रकार से पैसे ऐंठने के लिए भी धमकी दी जाती है।

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) संदेशों या अन्य माध्यमों से मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने के बारे में ग्राहकों से कोई संपर्क नहीं करता है। इसके अलावा भादूविप्रा (TRAI) ने इस उद्देश्यों के लिए ग्राहकों से संपर्क करने के लिए किसी तीसरे पक्षकार (थर्ड पार्टी एजेंसी) को भी अधिकृत नहीं किया है। इसलिए, ट्राई के अधिकारी का दावा करने वाले और मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने की धमकी देने वाला किसी भी प्रकार का संपर्क (कॉल, संदेश या नोटिस) संभावित धोखाधड़ी का प्रयास हो सकता है और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

बिलिंग, के.वाई.सी या किसी भी तरह के दुरुपयोग के कारण किसी भी मोबाइल नंबर का डिस्कनेक्शन संबंधित संपर्क केवल दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा ही किया जाता है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें, संदिग्ध धोखेबाजों के झांसे में न आएं और घबराएं नहीं। उन्हें संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) के अधिकृत कॉल सेंटर या ग्राहक सेवा केंद्रों से संपर्क करके ऐसे कॉलों की पुष्टि (क्रॉस वैरीफाई) करने की भी सलाह दी जाती है।

साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे दूरसंचार विभाग के संचार साथी प्लेटफॉर्म पर चक्षु सुविधा के माध्यम से संदिग्ध धोखाधड़ी वाली घटना को रिपोर्ट करें। इस कार्य हेतु <https://sancharsaathi.gov.in/sfc/> पर एक्सेस किया जा सकता है। जहाँ कहीं साइबर अपराध के पुख्ता प्रमाण हों वहाँ पर पीड़ितों को निर्दिष्ट साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर '1930' पर या आधिकारिक वेबसाइट <https://cybercrime.gov.in/> के माध्यम से घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए।


7/4/2024

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव